

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)  
शिक्षा डिग्री विकास  
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

1. कुलसचिव  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उ०प्र०।
3. प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,  
उ०प्र०।

पत्रांक—डिग्री विकास/ 48603 /2023–24      दिनांक— 21/09/2023

विषय— विश्वविद्यालय/बी०ए८० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० के पत्र संख्या—एस०जी०—९८/२०२३—२४ दिनांक—०४.०९.२०२३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि विश्वविद्यालय/बी०ए८० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त बी०ए८० संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश का अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उक्तवत्।

भवदीय

४८६०३  
२१/९/२३

डॉ०(अपणा मिश्रा)

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

कृते०शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा

उ०प्र०, प्रयागराज।

पृष्ठांकन—डिग्री विकास/ 48603-606 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि— डा० प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड उ०प्र०, स्काउट भवन गोला मार्केट, लखनऊ—२२६००६।

४८६०३  
२१/९/२३

डॉ०(अपणा मिश्रा)

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा

कृते०शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा

उ०प्र०, प्रयागराज।

O/c



# भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोत मॉर्केट, महानगर, लखनऊ - 226006

ग्रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

E-mail : [upscoutsguides@yahoo.com](mailto:upscoutsguides@yahoo.com), Website : [www.bsgup.org](http://www.bsgup.org)

फोन : 0522-2332928, मोबाइल : 983992276



पत्रांक संख्या - एस०जी०-९८ / १११ / २०२३-२४

दिनांक ०५ सितम्बर, २०२३

प्रेषक,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,  
भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०

सेवा में,

निदेशक, (उ०शि०)  
उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०  
प्रयागराज।

१११  
१११  
०५.०९.२०२३

विषय: विश्वविद्यालय / बी०एड० प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं सुयोग्य नागरिकता के प्रशिक्षण के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में स्काउटिंग / गाइडिंग के प्रशिक्षण का एक विशिष्ट स्थान है।

इस आलोक में प्रदेश के समस्त बी०एड० संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के नाम से प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु आपके स्तर से समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।

इस अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक-एस०जी०-९८ / २८१ / २०२३-२४ दिनांक 01.05.2023 निर्गत करते हुए प्रतिलिपि आपकी सेवा में प्रेषित की गयी है।

आपके स्तर से निर्देशों का प्रसारण प्रदेश के विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त बी०एड० संस्थानों के लिए अभी तक न हो पाने के कारण प्रशिक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि समस्त कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा संकाय/बी०एड० संस्थानों में अनिवार्य रूप से स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही साथ कुल सचिव/अधिष्ठाता शिक्षा संकाय को नोडल अधिकारी के रूप में नेतृत्व करते हुए भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० के माध्यम से ही यह प्रशिक्षण आयोजित कराए जाने हेतु अनुरोध किया जाय। सुलभ सन्दर्भ हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-एस०जी०-९८ / २८१ / २०२३-२४ दिनांक 01.05.2023 की प्रति संलग्न की जा रही है।

भवदीय,

४

(डॉ प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय, उ०प्र०।
- कुल सचिव / अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकल्टी) समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- प्रादेशिक संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।
- समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

४

(डॉ प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०



# भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, नोल मार्केट, महानगर, लखनऊ - 226006

E-mail : [upscoutsguides@yahoo.com](mailto:upscoutsguides@yahoo.com), Website : [www.bsgup.org](http://www.bsgup.org)

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

मुख्य संस्थाक

माननीय श्री राज्यपाल

उ० प्र०

उप मुख्य संस्थाक

माननीय मुख्यमंत्री

उ० प्र०

अध्यक्ष

डॉ महेंद्र सिंह

पूर्व पन्थी - ब्रह्म प्रकाश

उ० प्र०

मुख्यायुक्त

डॉ प्रभात कुमार

(ब्रह्म प्रकाश कुमार)

पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - ५६१९८ / २८१ | २०२३-२४

दिनांक १०५/२०२३

१- समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)

२- समस्त जिला सचिव

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।

विषय:- बी०ए०/ डी०ए०ए० संस्थानों में अध्ययनरत् छात्राध्यापक/छात्राध्यापकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। पूर्व में निर्गत वे समस्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए नये दिशा निर्देश संलग्न कर निर्गत किये जा रहे हैं।

२- वर्ष 2023-24 से बी०ए०/ डी०ए०ए० संस्थानों में स्काउटिंग/गाइडिंग प्रशिक्षण की कार्यवाही अर्थात् शिविरों की अनुमति, शिविरोंपरान्त सूची भेजना एवं सूची के अनुरूप प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य आनलाइन ही होंगे।

३- उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि निर्गत दिशा निर्देशों का गम्भीरता से अवलोकन करते हुए कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। निर्गत दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक - दिशा निर्देश।

भवदीय,

(डॉ प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०
- समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय, उ० प्र०।
- निदेशक, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निशातगंज, लखनऊ।
- समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र०।
- समस्त जिला मुख्यायुक्त/जिला आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- समस्त जिला प्रशिक्षण/संगठन आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०।
- समस्त जिला स्काउट मास्टर (बेसिक)/जिला गाइड कैन्टन (बेसिक), उ० प्र०।
- समस्त डी०ए०ए०/ बी०ए०ए० संस्थान, उ० प्र०।
- आई०टी० सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

**स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स वर्ष 2023-24 (बी०ए८० / डी०एल०ए८०) के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :-**

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स बी०ए८० / डी०एल०ए८० प्रशिक्षार्थियों हेतु निर्धारित है।
2. बी०ए८० डी०एल०ए८० शिविरों में एल०ओ०सी० एवं स्टाफ की नियुक्ति निम्नानुसार होगी:-
  - (१)-एल०ओ०सी० एल०टी०, ए०एल०टी० अथवा हिमालय बुडबैज।
  - (२)-सहायक स्टाफ (स्का० विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिशनर्स/जिला प्रशिक्षण कमिशनर्स/काउन्सलर्स।
  - (३)-सहायक स्टाफ (स्का० विंग) - एडवांस कोर्स/जिला संगठन कमिशनर्स/जिला प्रशिक्षण कमिशनर्स/काउन्सलर्स।
3. बी०ए८० / डी०एल०ए८० प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने का दायित्व सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर(स्का०/गा०) का होगा। सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर(स्का०/गा०) मण्डल के सम्बन्धित जनपदों में प्रशिक्षक नियुक्त करने में जिला सचिव एवं जिला प्रशिक्षण कमिशनर (स्काउट/गाइड) का सहयोग प्राप्त करेंगे।
4. बी०ए८० / डी०एल०ए८० शिविर में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची एकलूपता की दृष्टि से प्रादेशिक मुख्यालय को संलग्न प्रारूप के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑन लाइन प्राप्त करायी जाय। इसी के आधार पर प्रादेशिक मुख्यालय से आन लाइन प्रमाणपत्र निर्गत होंगे।
5. प्रत्येक बी०ए८० / डी०एल०ए८० शिविरों का जनपदीय एवं प्रादेशिक अंश जिला एवं प्रदेश कोष में जमा कराने का शतप्रतिशत् दायित्व सम्बन्धित मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) का होगा। यदि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता या नियमों की अवहेलना पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक संगठन कमिशनर (स्काउट/गाइड) का होगा।
6. शुल्क एवं सूची प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 05 कार्यदिवस के भीतर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जिला संरक्षण/सम्बन्धित संस्था को अनिवार्य रूप से आनलाइन ही प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरुष) और अधिकतम 4 प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक/पुरुष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होंगे।
8. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु समयावधि 5 दिन की होगी।
9. कोर्स में प्रतिभागी संरक्षण के गणवेश में ही प्रतिभाग करेंगे।
10. केवल स्कार्फ एवं वागेल शिविर अवधि में पहनना अनिवार्य होगा, जो भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र अर्थात् जुलाई से जून की अवधि में किये जायेंगे। शत् प्रतिशत् सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा:-
  - (क) -जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 25 प्रतिशत्।
  - (ख) -अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 35 प्रतिशत्।
  - (ग) -जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
  - (घ) -अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण संस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
12. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु निम्नविवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और व्यय किया जायेगा:-  
-शिविर शुल्क रु०-1000/-प्रति प्रतिभागी (जिसका विवरण निम्नवत् होगा): -  
अ-प्रदेश अंश - रु०-350/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।  
रु०-50/-प्रति प्रतिभागी वैलफेरेय फण्ड हेतु संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरत की जायेगी।  
ब-जिला अंश - रु०-150/-प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।  
स-संस्थान अंश-रु०-450/-प्रति प्रतिभागी, जिसमें से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जायेगा:-
  - (अ)-लीडर ट्रेनर - रु०-600/प्रति दिन।
  - (ब)-सहायक लीडर ट्रेनर - रु०-550/प्रति दिन।
  - (स)-हिमालय बुडबैज होल्डर-रु०-500/प्रति दिन।
  - (द)-एडवांस कोर्स - रु०-400/प्रति दिन।
  - (य)-मार्ग व्यय - रु०-100/प्रति दिन की दर से।
  - (र)-प्रशिक्षक अवधि में प्रशिक्षकों के आवश्यक आविष्यक सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

13. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को प्रादेशिक संस्था का संस्थागत सदस्य बनाये जाने के लिए प्रति संस्थान ₹०-५,०००/- (केवल एक बार) के साथ आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। शिविर अनुमन्ता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति के समय इस बिन्दु का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
14. सत्र 2023-24 में 01 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ होने वाले ₹०एड० / ₹१०एल०एड० शिविरों के प्रमाणपत्र सहित समर्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पन्न होगी।
15. ₹१०एल०एड० शिविरों हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
16. ₹१०एल०एड०(₹०एड०) शिविरों के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकल्टी) / कुल सचिव या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
17. मण्डलीय सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्तगण बिन्दु 15 एवं 16 में वर्णित नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से शत् प्रतिशत् उपलब्धि के लिए कार्य करेंगे।

पाठ्यक्रम – (₹१०एल०एड० / ₹०एड० ₹१०पी०एड० / ₹०पी०एड०)

1. स्काउटिंग गाइडिंग के आधारभूत तत्व।
2. स्काउटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति एवं प्रसार।
3. स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न शाखाएं।
4. कब / बुलबुल / स्काउट / गाइड रोवर / रेंजर के विकास के कार्यक्रम।
5. यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6. गॉर्ट एवं बच्चन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार(कब / बुलबुल / स्काउट / गाइड / रोवर / रेंजर पृथक पृथक)
8. वर्दी, स्माटनेस, गुड आर्डर एवं संकेत।
9. दिशा ज्ञान, खोज के चिन्ह, अनुमान लगाना।
10. कैम्पिंग एवं हाइकिंग।
11. समारोह एवं प्रदर्शन।
12. विभिन्न प्रकार के अलकरण / पुरस्कार।
13. अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे—मैसेन्जर्स आफ पीस, सर्फरस्माट, फीबीइंग मी, आदि।
14. प्राथमिकता सहायता।

# भारत स्काउट और गाइड उ०प्र०

प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ  
बी०ए०/डी०ए०ए० प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

मण्डल .....

जनपद .....

महाविद्यालय/संस्थान का नाम .....

E-mail/CD:

शिविर की तिथियाँ ..... से ..... तक

प्रतिभागी-छात्राध्यापक  छात्राध्यापिकाएं  कुल योग

### कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षक	पद/दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो०न०
1		शिविर सचालक		
2		सहायक		

### कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षिका	पद/दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो०न०
1		शिविर सचालिका		
2		सहायिका		

### बी०ए०/डी०ए०ए० प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश :-

- महाविद्यालय को केवल रु०-५५०/प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क देना है, जिसमें से ३५०/- एवं रु० ५०/- कुल रु० ४००/-प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र० के नाम ड्राफ्ट/आर०टी०जी०ए० से माध्यम से तथा रु०-१५०/-प्रति छात्र/छात्रा जिला संस्था के नाम चेक/ड्राफ्ट/आर०टी०जी०ए० के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
- प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ०प्र०, लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर०टी०जी०ए०/नेपट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय:-

खाते का नाम : प्रादेशिक सचिव,उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड  
 खाता संख्या : 10122401342  
 बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक  
 शाखा का नाम : जवाहर भवन, लखनऊ  
 आई०एफ०ए० कोड : SBIN0006144

3. पाँच दिवसीय शिविर अवधि में प्रशिक्षकों के जलपान/भोजन/मानदेय की व्यवस्था महाविद्यालय/  
संस्थान द्वारा की जायेगी।

### जिला संस्था की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अंश रु० ..... (शब्दों में) ..... बैंक  
झाफ्ट या आर०टी०जी०एस०/नेपट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ..... को जिला संस्था के कोष  
में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला संस्था की रसीद सं० ..... दिनांक ..... निर्गत  
की गई।

ह० जिला सचिव

नाम :-

मुहर

### प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अंश रु० ..... (शब्दों में) ..... बैंक  
झाफ्ट या आर०टी०जी०एस०/नेपट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ..... को प्रादेशिक संस्था के  
खाते में जमा किया गया। महाविद्यालय/जिला संस्था के पक्ष में रसीद सं० ..... दि० ..... निर्गत की  
गई।

लेखाकार,  
भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०

५.

ବୀରପୁଣ୍ଡିରେ କାଳିମନ୍ଦିର ପାଶରେ ଏହାପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାତାଖାଲୀ କାହିଁ ଥିଲା

स्कॉर्ट विभाग - (चाचा आठ्यापक)

त्रिभुवन

मुहर .....  
मा०न० .....  
ई०मेल .....

२० प्राचीर्य

मुहर  
मा०ন  
ই় মেল

त्रिपुरा विद्यालय

मुहर  
मा०न०  
ई० मेल

उन्हीं कामेंट की मार्ग कापी यस्ता कि वेबसाइट [www.bsgup.org](http://www.bsgup.org) से डाउनलोड कर सकते हैं।

୧୦୫୨୦/୧୦୫୩୦୫ ପାଇଁ ଶାପ୍ ମ କମାଲିତ ପ୍ରତିଭାଗ୍ୟ କା ହୁଏ

गाइड विभाग - (छात्राध्यापिका )

गाइड विभाग - (स्थानाध्यापिका)	
प्रतिशारी विवरण :-	नोवाइल नं.
क्रम सं०	
नाम	
पिता का नाम	ई. मेल जार्डॉफी०

ह० विभागात्मक

मुहर .....  
मो०न० .....  
हे०मेल .....

०२

गुहर  
मौन  
हुँ मेल

ह० शिविर संचालक

मुहर  
मा०ন০  
ই়মেল